संख्या-1/2023/आई/263552/चौरासी-1-2023

प्रेषक,

आर0 वी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0 प्र0।
3- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0 प्र0।
4- समस्त जिलाधिकारी, उ0 प्र0।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट-माप अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 18 जनवरी, 2023

विषय:- भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य के समस्त विभागों द्वारा अधिसूचित उत्पादों की खरीद एवं निर्माण कार्यो में तैयार शुदा परियोजना के कार्य आदेशों से सम्बन्धित निविदाओं में अनिवार्य रूप से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया दिनांक 11.08.2022 को मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में हुयी उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय मानकीकरण समिति की बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें(कार्यवृत्त संलग्न है)। उक्त बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु(क) पर यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा अधिसूचित उत्पादों की खरीद, निर्माण कार्यो के लिए तैयार शुदा परियोजना के कार्य आदेशों से सम्बन्धित निविदाओं में अनिवार्य रूप से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों का प्रयोग, विभागों द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

2- यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश की खरीद नियमावली 2016 के खंड 5.2 के अनुसार आई0एस0आई0 मार्क/भारतीय मानकों के अनुरूप उत्पादों की खरीदारी करने की प्राथमिकता अपेक्षित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राज्य स्तरीय मानकीकरण समिति के उक्त निर्णय एवं खरीद नियमावली, 2016 के प्रावधान के अनुपालन में, तैयार शुदा परियोजनाओं के कार्य आदेशों से सम्बन्धित निविदाओं में भी सुनिश्चित करने हेतु परियोजना के निष्पादक/ठेकेदार के द्वारा अनिवार्य रूप से आई0एस0आई0 मार्क/ भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों की खरीदी एवं प्रयोग को सुनिश्चित किया जाए।

4- यह भी अपेक्षित है कि प्रदेश के सभी विभागों द्वारा निविदा जारी करते समय उपरोक्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्न शर्त का प्राविधान अवश्य रखा जाए:-

"विभागों द्वारा सीधे उत्पादों की खरीद एवं तैयार शुदा परियोजना के कार्यादेश(Turn Key Projects) के लिए भी प्राईवेट ठेकेदारों द्वारा उत्पादों की खरीद में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों का ही प्रयोग किया जाएगा, जिन उत्पादों पर बी0आई0एस0 प्रमाणन अभी उपलब्ध नहीं है उन्हीं में विचलन अनुमन्य होगा परन्तु वहॉ भी भारतीय मानक के अनुरूप ही उत्पाद खरीदे जाएंगे।

कृपया उपरोक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

(आर0 वी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट-माप विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3- उ0 प्र0 सचिवालय के समस्त विभाग ।
4- प्रमुख एवं वैज्ञानिक ई, लखनऊ शाखा कार्यालय भारतीय मानक ब्यूरो, गोमती नगर, लखनऊ।
5- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(आर0 वी0 सिंह)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

विशेष सचिव।

<u>मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मानकीकरण समिति उत्तर प्रदेश की दिनांक 11 अगस्त 2022 को सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त</u>

उपस्थिति निम्नवत रही:-

1- श्रीमती वीना कुमारी, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद/उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट-माप विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- श्री अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव, सिचाई विभाग, उ0 प्र0 शासन।

3- श्री अनुराग यादव, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।

4- श्री अभिषेक प्रकाश, सचिव उद्योग विभाग, उ0 प्र0 शासन।

5- श्री प्रभुनाथ, विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 शासन।

6- श्री कुमार विनीत, विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- श्री राकेश कुमार मिश्रा, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन।

8- श्री मार्कन्डेय शाही, विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद/उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट-माप विभाग, उ0प्र0 शासन।

9- डा0 अखिलेश मिश्रा, विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उ0 प्र0 शासन।

10-श्री अन्नावि दिनेश कुमार, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

11-श्रीमती रेनू तिवारी, विशेष सचिव, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0 प्र0शासन।

12-श्री रविशंकर मिश्र, संयुक्त सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उ0 प्र0 शासन।

13- श्री जे0 के0 बांगा, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

14- श्रीमती रचना रस्तोगी, डायरेक्टर लोक निर्माण विभाग, लखनउ।

15- श्री बिपिन पुरी,

16- श्री मुस्ताक अहमद, विभागाध्यक्ष सिचाई।

17- श्री लक्ष्मीकान्त मिश्रा, उप परिवहन आयुक्त मुख्यालय लखनऊ।

18- श्री राम केसरी, सी0ई0ओ0 पर्यावरण

19- श्री अविचल कुवेले, बी0आई0एस0 कमेटी चेयरमैन, आई0आई0ए0।

20- श्री प्रदीप कुमार, एम0एस0एम0ई0।

21- श्री पदम मोहन मिश्रा, उपभोक्ता संरक्षण कल्याण समिति, कानपुर।

22- श्री अभिषेक श्रीवास्तव, कन्ज्यूमर गिल्ड, लखनऊ।

23- श्री दिपेन्दु सिंह ठकराल, स्टील अथॉरिटी आफ इन्डियॉ।

24- श्री वरिन्दर सिंह, स्टील अथॉरिटी आफ इन्डियॉ।

25- श्री केशव माथुर, उपाध्यक्ष, लघु उद्योग भारतीय, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

26- श्री सुमित मितल, लघु उद्योग भारतीय, लखनऊ।

27- श्री असित कुमार महाराणा, वैज्ञानिक ई0 प्रमुख, बी0आई0एस0 शाखा लखनऊ।

(1)- बैठक में आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के अन्तर्गत हर घर तिरंगा अभियान की चर्चा के साथ समिति के सभी सदस्यों ने यह स्मरण किया कि आई0एस0- प्रथम भारतीय तिरंगा झण्डा है, एजेंडा के अनुसार निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गयी एवं आगे की कार्यवाही हेतु निम्नानुसार निर्णय लिए गए:-

(क) **<u>गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अनुपालन सम्बन्धी</u>** - भारत सरकार द्वारा 379 उत्पादों के ऊपर अनिवार्य रूप से भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन होना अधिसूचित किया गया है। यह सूची **<u>https://www.bis.gov.in/index.php/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-markscheme/</u>** पर उपलब्ध है। इसका लिंक विधिक माप विज्ञान विभाग/खाद्य एवं रसद विभाग तथा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की वेवसाईटों पर भी देखा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा अधिसूचित उत्पादों की खरीद, निर्माण कार्यों के लिए तैयार शुदा परियोजना के कार्य आदेशों से सम्बन्धित निविदाओं में अनिवार्य रूप से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों के प्रयोग, विभागों द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही-उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित विभाग)

(ख) **<u>राज्य के विभागों में मानकीकरण सेल की स्थापना</u>:-** राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं में भारतीय मानकों के व्यापक प्रयोग को देखते हुए तथा इससे प्राप्त होने वाले लाभ के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया गया कि एजेंडा में प्रस्तावित विभागों जैसे सिंचाई, जन स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि, उद्योग, गृह निर्माण एवं शहरी विकास विभागों में भारतीय मानक ब्यूरो के साथ मिलकर मानकीकरण सेल की स्थापना की जाए। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए उद्योग विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो की लखनऊ शाखा के साथ मिलकर एक वर्कशॉप आयोजित करेगा। वर्कशॉप हेतु समन्वयक का कार्य भारतीय मानक ब्यूरो की लखनऊ शाखा द्वारा किया जायेगा। भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारी, श्री अभिषेक प्रकाश, आई0ए0एस0, सचिव उद्योग विभाग से सम्पर्क कर वर्कशाप के सम्बन्ध में आगे की रणनीति तय करेगें।

(कार्यवाही-भारतीय मानक ब्यूरो, लखनऊ शाखा एवं उद्योग विभाग)

(ग) **<u>दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के लिए बी.आई.एस. अनुरूपता मुल्यांकन योजना</u>** - समिति द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के लिए बी.आई.एस. द्वारा अनुरूपता मुल्यांकन योजना के बारे में जानकारी नोट की गयी। दुग्ध विकास विभाग से यह अपेक्षित है कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बी0आई0एस0, लखनऊ शाखा से सम्पर्क कर इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से सम्बन्धित सरकारी/गैर सरकारी एवं सहकारी संस्थाओं को इस विषय पर अनुपालन सुनिश्चित कराने का कार्य करें।

(कार्यवाही-भारतीय मानक ब्यूरो, लखनऊ शाखा एवं दुग्ध विकास विभाग)

(घ) <u>राज्य के विभिन्न हाईस्कूल, पालीटेक्निक एवं तकनीकी कालेजों में बी.आई.एस. मानक क्लबों की स्थापना</u> - समिति द्वारा राज्य में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित बी.आई.एस. मानक क्लब के बारे में सूचना को नोट किया गया। एजेंडा में प्रस्तावित वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न हाईस्कूल, पालीटेक्निक तथा तकनीकी कालेजों में 600 नए बी.आई.एस. मानक क्लबों की स्थापना करने हेतु इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा विभाग को प्रदान की जाए एवं इसके उपरांत उन विभागों द्वारा मानक क्लबों की स्थापना हेतु विभागीय आदेश जारी किए जाए।

(कार्यवाही-भारतीय मानक ब्यूरो, लखनऊ शाखा एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा)

(च) <u>मानक एवं गुणवत्ता के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन</u>- भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा राज्य में भारतीय मानक एवं गुणवत्ता सम्बन्धी समवेदीकरण कार्यक्रमों की जानकारी लेते हुए समिति के अध्यक्ष द्वारा उद्योग विभाग को यह निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित अधिकारियों एवं उद्यमियों को भारतीय मानक तथा गुणवत्ता के विभिन्न आयामों के बारे में सेमीनार/वर्कशॉप के माध्यम से जागरूक करवाएं। उद्योग विभाग द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के साथ समन्वय बनाते हुए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाए।

(कार्यवाही-भारतीय मानक ब्यूरो, लखनऊ शाखा एवं उद्योग विभाग)

(छ) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उपभोक्ता सशक्तीकरण के लिए बनाए गए बी.आई.एस. केयर एप के विभिन्न सुविधाओं के बारे में समिति ने जानकारी प्राप्त की तथा इसके प्रयोग को और व्यापक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार व जागरूकता बढाने के सम्बन्ध में सेमीनार/वर्कशॉप आयोजित कराये जाने की अपेक्षा भारतीय मानक ब्यूरो लखनऊ शाखा से की गयी।

(कार्यवाही-भारतीय मानक ब्यूरो, लखनऊ शाखा)

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

दुर्गा शंकर मिश्रा
मुख्य सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1

संख्या:आई/203325/84-1099/47/2022

लखनऊः दिनांक: 22अगस्त, 2022

उपरोक्त कार्यवृत्त की प्रति लिए गये निणयों के अनुपालन हेतु निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) राज्य मानकीकरण समिति के सभी सम्मानित सदस्य।

(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग/प्राविधिक शिक्षा/दुग्ध विकास विभाग।

(3) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0 लखनऊ।

(4) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।

(5) भारतीय मानक ब्यूरो, शाखा लखनऊ।

(6) निदेशक माध्यमिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा।

(7) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।